न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 37/16 **सन् 2016**

आरसीएमएस संख्याः–2017/00075

बउनवानीः–

1. मोहनलाल पुत्र श्री सुवादास जाति वैष्णव
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री राधेश्याम जाति वैष्णव,
   जरिये पुजारी मंदिर श्री जगन्नाथ जी महाराज विराजमान वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 27 निर्णय दिनांक 24.1.2001 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 20.1.2020**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 27 निर्णय दिनांक 24.1.2001 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 27 से संबंधित आराजी भूमि ख0न0 483 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 2610 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 2612 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा,ख0न0 2616 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 2617 रकबा 17 बिस्वा,ख0न0 2618 रकबा 4बिस्वा, ख0न0 2979 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 2980 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 3055 रकबा 7 बीघा, ख0न0 3040 रकबा 5 बिस्वा, ख0न0 43 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 12 कुल रकबा 49 बीघा 6 बिस्वा सम्वत् 2004 से 2023 खतौनी बन्दोबस्त में अपीलान्ट संख्या 1 के पिता सुवा दास पुत्र माधोदास के नाम दर्ज थी इसके उपरान्त उक्त भूमि अपीलान्ट के पूर्वज अर्थात उनके पिता के नाम दर्ज थी जो माफी मंदिर श्री जगन्नाथ के पुजारी थे। उक्त माफी मंदिर श्री जगन्नाथ जी की उक्त भूमि को गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध संगठन बनाकर हडपने का प्रयास किया था इस कारण अपीलान्ट संख्या 2 के पिता व अपीलान्ट संख्या 1 की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर मे अपील संख्या 120/95 चली थी, जिसका निर्णय दिनांक 18.8.2000 को हो गया था जिसमे राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन भूमि माफी मंदिर श्री जगन्नाथ जी महाराज वाके ग्राम भगवतगढ सहित पुजारी का नाम दर्ज करने के आदेश दिया था जिसकी पालना में उक्त नामा0 संख्या 27 पटवारी हल्का द्वारा भरा था जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.1.2001 को स्वीकार किया था लेकिन पटवारी हल्का ने माफी मंदिर श्री जगन्नाथ जी महाराज के साथ अपीलान्ट का नाम पुजारी के रूप में दर्ज नही किया था इस कारण उक्त नामा0 अपूर्ण होने से निरस्तनीय है। क्योकि उक्त नामा0 पटवारी हल्का ने कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावें में आकर तथा मीना जाति समाज के होने से उक्त नामा0 मे अपीलान्ट का नाम बतौर पुजारी दर्ज नही किया जिसे अपीलान्टस् अपना नाम उक्त नामा0

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि मंदिर माफी मूर्ति जगन्नाथ जी महाराज विराजमान भगवतगढ के नाम राजस्व रिकार्ड में की गयी है क्योकि उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 मे माफी मंदिर श्री जगन्नाथ के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी जिसके कॉलम संख्या 4 कृषक मे सुवादास पुजारी का नाम भी दर्ज रिकार्ड था। किन्तु सम्वत् 2017 मे उक्त भूमि पुजारी द्वारा अपने नाम करवा लेने के कारण आम जनता द्वारा दिनांक 26.7.1995 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसके कम में अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 26.10.1995 को प्रशासनिक आदेश से उक्त भूमि पुजारी के नाम से हटाकर मंदिर श्री जगन्नाथ जी के नाम दर्ज रिकार्ड करने के आदेश जारी किये गये है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.8.2000 को आंशिक स्वीकार कर अपीलान्ट का नाम हटाकर मूर्ति मंदिर श्री जगन्नाथ जी वाके ग्राम भगवतढ के नाम अंकन किये जाने व मंदिर की पूजा/व्यवस्था के लिए पुजारी के रूप मे अपीलान्ट को यथावत रखने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है। किन्तु राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के निर्देश संख्या 1 पर पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना में जमाबन्दी मे मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करते साथ–साथ यदि पृथक से इस हेतु संघारित रजिस्टर में उसका नाम अंकन नही किया गया हो तो दिनांक 13.12.1991 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/सेवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर मे दर्ज करने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है ना कि उक्त भूमि की जमाबन्दी में पुजारी का नाम दर्ज किये जाने बाबत। अतः अधीनस्थ न्यायालय पारित आदेश जैर विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज करने बाबत पैरोकार रास्जस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 27 दिनांक 24.1.2001 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर की अपील संख्या 120/95 उनवानी राधेश्याम बनाम अति0 जिला कलेक्टर वगै. में पारित निर्णय दिनांक 16.8.2000 की पालना में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के निर्देशो को मध्यनजर रखते हुए दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रृटि प्रतीत नही होती है। क्योकि उक्त परिपत्र के निर्देशानुसार पुजारी का नाम जमाबन्दी से हटाया जाकर पृथक से संघारित रजिस्टर मे पुजारी का नाम दर्ज किये जाने बाबत निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। किन्तु तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के निर्देशो की पालना नही की गयी हो तो अब पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.01.30 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: